न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 08/2020
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2020/00101

प्रार्थीगण

1. रूपा देवी पत्नि शिवभगवान जाट निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
2. शोभा देवी पत्नि नेमीचन्द जाट निवासी मंगरासी पुलिस थाना लोसल जिला सीकर हाल निवासी चितावा।
3. संतोष उर्फ शांति पत्नि बेगाराम जाट निवासी नोनपुरा तहसील कुचामन, हाल निवासी चितावा।
4. प्रेमदेवी पत्नि हेमाराम जाट, निवासी मंगरासी पुलिस थाना, लोसल, जिला सीकर हाल निवासी चितावा।
5. केशरदेवी पत्नि स्वं रेखाराम जाट निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. बाबूलाल जाट, उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर।
2. दानाराम पुत्र लादूराम (गलत गोद पुत्र रेखाराम) जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।
3. रामकरण पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर
4. गणपतराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया, अप्रार्थी संख्या–2 से 4 की ओर से वकील श्री राजेश रावल।

आदेश **दिनांक–** 19-04-21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 411 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 सरकार जरिये थानाधिकारी चितावा बनाम पार्टी संख्या 1 दानाराम, पार्टी संख्या 2 श्रीमति रूपादेवी वगैराह, पार्टी संख्या 3 रामकरण व पार्टी संख्या 4 गणपतराम वगैरह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चितावा में प्रार्थीगण के पिता व पति स्व. श्री रेखाराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 106, 107, 108, 109, 1216/106, 1217/106, 1218/109, 1219/109, 1221/142, 1222/143, 131, 141, 142, 143, 144, 145, 1699/106, 1700/1216, 1701 [illegible] कुल रकबा 22.98 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में स्व. रेखाराम जी का 1/3 हिस्सा निहित [illegible] तथा [illegible]राम जी की मृत्यु के पश्चात व पूर्व प्रार्थीगण काबिज काश्त है, उक्त भूमि के संबंध में स्व. रेखाराम [illegible]ने जीवन काल में प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:19 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

में बक्शीशनामा दिनांक 07.01.2013 को निष्पादित करवा दिया था, इस प्रकार प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदार काबिज काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 दानाराम ने फर्जी गोदनामा के आधार पर राजस्व वाद पेश दिया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 दानाराम का उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा न तो कभी था और न ही आज दिन है। इसके बावजूद फर्जी तरीके से प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियां दी। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विवाद चल रहा है तथा इसके कारण शांति भंग होने की पूरी संभावना होने के कारण वादग्रस्त भूमि के संबंध में थानाधिकारी चितावा धारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही कर उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के पास इस्तगासा पेश किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उक्त भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त कर दिया।

अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 ने अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश कर कुर्की को निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने थानाधिकारी चितावा से रिपोर्ट तलब की तथा थानाधिकारी, चितावा ने अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 बयानात लिये बिना ही चुपके चुपके ही अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के कहे मुताबिक रिपोर्ट बनाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर दी।

दिनांक 3.2.2020 को अड़कसर सरपंच हरदयाल व अप्रार्थी रामकरण ने प्रार्थी रूपा देवी को कहा कि, अप्रार्थीगण की एस.डी.ओ. साहब से बातचीत हो गई है तथा एस.डी.ओ साहब ने अप्रार्थीगण से कहा है कि, मैं आपके पक्ष में निर्णय करूंगा तथा उक्त तारीख पेशी दिनांक 3.2.2020 को जब प्रार्थीया पेशी पर गई तो सरपंच हरदयाल व रामकरण एस.डी.ओ. साहब से मिलकर उनके चैम्बर से बाहर आ रहे थे, इस प्रकार प्रार्थीगण को पक्का यकीन हो गया है कि, अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ दुरभिसंधी कर ली है। इसलिये एस.डी.ओ. कुचामनसिटी से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का आदेश प्रदान करावें। इस संबंध में प्रार्थीगण ने एस.डी.ओ. कुचामन सिटी को भी लिखित में आवेदन पेश करन उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निवेदन किया तथा दिनांक 03.02.2020 के बाद यह आवेदन न्यायालय हाजा में पेश करने तक अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई तारीख पेशी भी प्रार्थीगण को नहीं बताई गई।

इस प्रकार पीठासीन अधिकारी प्रकरण के निस्तारण में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में रूची लेकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार सही निर्णय नहीं करेंगें तथा प्रार्थीगण को उनके न्याय मिलने की कतई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि, वह अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के कहे अनुसार मनमर्जी से निर्णय करने पर आमादा होने का कथन करते हुऐ प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विचाराधीन प्रकरण संख्या 02 / 2019 बअनवान सरकार बनाम दानाराम वगैरह अदालत उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी से पत्रावली को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री राजेश रावल ने अप्रार्थी संख्या–2 से 4 की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी के आवेदन के पैरा संख्या–1 में वर्णित खेताय में रेखाराम का 1/3 हिस्सा है व उक्त सभी खेताय पुश्तैनी रहे है। रेखाराम के स्वअर्जित नहीं थे। प्रार्थीगण का कथन कि रेखाराम की मृत्यू के पश्चात व पूर्व प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे हो, रेखाराम द्वारा स्वंय की सहमति व जानकारी से कभी कोई बख्शीशनामा प्रार्थीगण संख्या 1 से [illegible] नहीं करवाया, बल्कि रेखाराम की बीमारी व मानसिक अस्वस्थता का फायदा उठाकर उक्त ब[illegible]शनामा फर्जी व जालसाजी से तैयार करवाया है। रेखाराम के हिस्से में आई पुश्तैनी सम्पत्ति में उसकी पत्नी [illegible]दतक पुत्र का भी हक व हिस्सा निहित था, इसलिए सम्पूर्ण भूमि का बख्शीशनामा [illegible] कोई हक अधिकार नहीं था, जिसे अवैध शुन्य व प्रभाव शुन्य घोषित करवाने हेतु वाद सिविल न्या[illegible]य में विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:19 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर, नागौर

रेखाराम द्वारा दानाराम को सन् 1994 में दतक पुत्र के रूप में ग्रहण किया था, जिसका दतक विलेख लिखा जाकर उसका पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय में करवाया गया था, दानाराम का रेखाराम की पुश्तैनी भूमि पर दतक ग्रहण के दिन से ही हक व हिस्सा निहित हो गया था, तब से रेखाराम के हिस्से की भूमि पर दानाराम का कब्जा काश्त पूर्व में उसके जीवनकाल में उसके साथ तथा उसकी मृत्यू के पश्चात अकेले दानाराम का कब्जा काश्त रहता चला आया है। प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त था ही नहीं, तो उन्हे बेदखल की धमकियां देना या ऐसा प्रयास करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा फर्जी तरीके से अपने पक्ष में निष्पादित करवाये गये बख्शीशनामे के आधार पर अप्रार्थी को भूमि से बेदखल करने की खुली धमकियां देती रही, जिसकी जानकारी होते ही उक्त फर्जी बख्शीशनामें की अवैध शुन्य व प्रभाव शून्य घोषित करवाने हेतु सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर दी थी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य मात्र से गलत तथ्यों को आधार बनाकर धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही प्रस्तुत की थी, जिसमें मिलावट कर वादग्रस्त खेताय को कुर्क करवाने में तथा अपने मकसद में कामयाब अवश्य हो गई, किन्तु प्रार्थीगण ने मात्र रेखाराम के हक व हिस्से में आने वाली कृषि भूमि को ही कुर्क नहीं करवाया, अपितु गणपतराम पुत्र अन्नाराम व रामकरण पुत्र लादूराम के हक व हिस्सो को भी शामिल कर लिया गया था, जबकि उनके कब्जे काश्त की भूमि का कोई विवाद ही नहीं था, न ही है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से उनकी भूमि को भी विवादित बतलाकर कुर्की आदेश प्राप्त किया है।

अप्रार्थी संख्या–2, 3 व 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कुर्की को निरस्त करने का निवेदन अवश्य किया गया था, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा थानाधिकारी चितावा को आवेदन की जॉच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। किन्तु प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्हे किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही थानाधिकारी चितावा से रिपोर्ट तलब की, पूर्णतः गलत है। प्रार्थीगण को सभी तथ्यों की जानकारी पूर्णतः रही है तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत होने पर थानाधिकारी से वास्तविक स्थिति बाबत रिपोर्ट मंगवाने का अधिकार था, किन्तु प्रार्थीगण का यह कथन कि थानाधिकारी चितावा द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 के बयान लिये बिना ही उनके कहे मुताबिक रिपोर्ट बनाकर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है, जो पूर्णतः गलत है। थानाधिकारी चितावा द्वारा पूर्ण रूप से अनुसंधान कर अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 के साथ–साथ अन्य गवाहान के बयान लेखबद्ध कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिन तथ्यों की जानकारी भली भांति प्रार्थीगण को रही है। प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवेदन पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीगण कथन कि दिनांक 03.02.2020 सरपंच हरदयाल व अप्रार्थी रामकरण द्वारा प्रार्थी रूपादेवी को कहा कि हमारी एसडीओ साहब से बातचीत हो गई है व एसडीओ साहब ने हमे कहा कि मैं आपके पक्ष में निर्णय करूंगा, वही दूसरी ओर तारीख पेशी दिनांक 03.02.2020 को पेशी पर जाने पर हरदयाल व रामकरण को एसडीओ साहब के चेम्बर से बाहर आते हुए देखने का उल्लेख मात्र दिया है तथा उस दिन किसी प्रकार की बातचीत अप्रार्थीगण से होने का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र काल्पनिक तथ्यों को आधार बनाकर झुठा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अप्रार्थीगण को न्याय से वंचित रखना है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने तथा न्याय में विलम्ब करने के उद्देश्य मात्र से अधिनस्थ न्यायालय के अधिकारी पर गलत व [illegible] लगाने का प्रयास किया है, साथ ही उनके कर्तव्य व कार्य के प्रति निष्ठा पर भी अंगुली उठाने का प्रयास किया है, जो अशोभनीय है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, किन्तु अब प्रार्थीगण को इस बात का डर है कि प्रकरण में सही रूप से अनुसंधान [illegible] जांच के आधार पर निर्णय पारित किया गया तो उसे असफलता का सामना करना पड़ेगा, का कथन करते हुए प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज करने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:19 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

विकल्प में न्यायालय हाजा जिस किसी भी अधिकारी को उचित समझे, उसे प्रकरण का जल्द निस्तारण करने के निर्देश के साथ उस न्यायालय में मुन्तकिल करने की आज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के पैरा संख्या–1 में किये गये कथन राजस्व रेकर्ड से संबंधित है। यह प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे।

प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि के संबंध में थानाधिकारी चितावा द्वारा अपने पत्रांक–1 दिनांक 02.07.2019 से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तहत अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर गैरसायलान की सुनवाई कर दिनांक 11.11.2019 को उक्त विवादग्रस्त भूमि को कुर्क कर भू–अभिलेख निरीक्षक चितावा को रिसीवर नियुक्त किया गया है।

अप्रार्थी संख्या– 2, 3 व 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त विवादग्रस्त भूमि को कुर्क मुक्त करने का निवेदन किया, उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में थानाधिकारी चितावा से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रांक–1613 दिनांक 04.12.2019 से रिपोर्ट प्राप्त की। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक–7986 दिनांक 07.12.2019 की रिपोर्ट में अवगत करवाया कि अब उक्त विवादग्रस्त भूमि के खातेदारों के मनमुटाव नहीं है। प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट पर सुनवाई हेतु तारीख पेशी 17.01.2020 निर्धारित कर पक्षकारों के वकीलों को सूचित किया गया। दिनांक 17.01.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दौरे पर रहने से सुनवाई नहीं हो पाई। परन्तु सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी 03.02.2020 निर्धारित कर पक्षकारों के वकीलों को सूचित किया गया। दिनांक 03.02.2020 को समयाभाव के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं पाई। सुनवाई हेतु आगामी पेशी 06.02.2020 नियत की गई। दिनांक 06.02.2020 को गैरसायलान संख्या–2 व 4 ने उपस्थित होकर प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–4 व 5 में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये है वह पूर्णतया मिथ्या मनगढ़त और निराधार होने का कथन करते हुऐ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में वकील प्रार्थी के कथनानुसार कि दिनांक 3.2.2020 को अड़कसर सरपंच हरदयाल व अप्रार्थी रामकरण ने प्रार्थी रूपा देवी को कहा कि, अप्रार्थीगण की एस.डी.ओ. साहब से बातचीत हो गई है तथा एस.डी.ओ साहब ने अप्रार्थीगण से कहा है कि, मैं आपके पक्ष में निर्णय करूंगा तथा उक्त तारीख पेशी दिनांक 3.2.2020 को जब प्रार्थीया पेशी पर गई तो सरपंच हरदयाल व रामकरण एस.डी.ओ. साहब से मिलकर उनके चैम्बर से बाहर आ रहे थे, इस प्रकार प्रार्थीगण को पक्का यकीन हो गया है कि, अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ दुरभिसंधी कर ली है। इसलिये एस.डी.ओ. कुचामनसिटी से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 सरकार बनाम दानाराम वगैरह प्रकरण की पत्रावली को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी श्री राजेश रावल के कथनानुसार कि प्रार्थीगण कथन कि दिनांक 03.02.2020 सरपंच हरदयाल व अप्रार्थी रामकरण द्वारा प्रार्थी रूपादेवी को कहा कि हमारी एसडीओ साहब से बातचीत हो गई है व एसडीओ साहब ने हमे कहा कि मैं आपके पक्ष में निर्णय करूंगा, वही दूसरी ओर तारीख पेशी दिनांक 03.02.2020 को पेशी पर जाने पर हरदयाल व रामकरण को एसडीओ साहब के चेम्बर से बाहर आते हुए देखने का उल्लेख मात्र दिया है तथा उस दिन किसी प्रकार की बातचीत अप्रार्थीगण से होने का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थीगण [illegible] तथ्यों को आधार बनाकर झुठा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अप्रार्थीगण को न्याय से वंचित रखना है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने तथा न्याय में विलम्ब करने के उद्देश्य मात्र से अधिनस्थ न्यायालय के अधिकारी पर गलत व झुठा लांछन [illegible] है, साथ ही उनके कर्तव्य व कार्य के प्रति निष्ठा पर भी अंगुली उठाने का प्रयास किया है, जो अशोभनीय होना जाहिर करते हुए प्रार्थी का आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Sohi
Date: 2021.11.26 18:30:19 IST
Reason: SelfAttested

खारिज करने एवं विकल्प में न्यायालय हाजा जिस किसी भी अधिकारी को उचित समझे, उसे प्रकरण का जल्द निस्तारण करने के निर्देश के साथ उस न्यायालय में मुन्तकिल करने की आज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने भी प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों को पूर्णतया मिथ्या मनगढ़त और निराधार होने का कथन करते हुऐ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या–3 ने प्रार्थीगण द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोपों को अस्वीकार किया है। वकील प्रार्थी द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 3 पर लगाये आरोपों के पुष्टि के संबंध में कोई ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः बिना किसी ठोस और युक्तियुक्त कारण के प्रकरण को अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:19 IST
Reason: SelfAttested